# सहस्त्राविद राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, चम्बा तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधियों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.4.2009 से 31.3.2013

## भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के लम्बित पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त आडिट पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न वर्णित हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9.7.07 से 31.3.09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 | निर्णीत | (₹3750/– की वसूली करके चालान संख्या 21 दिनांक 20.2.2010 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवा दिए) |
| 2 | पैरा–5 | निर्णीत | (गाड़ी संख्या एच0पी0–40–1153 के लॉग बुक के पृष्ठ संख्या 128 में 150 लीटर डीजल का इन्द्राज कर दिया) |
| 3 | पैरा–6 | निर्णीत | (अग्रिम राशि रजिस्टर तैयार कर लिया गया) |

## भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

सहस्त्राविद राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, चम्बा, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के छात्र कल्याण निधियों के लेखों अवधि 4/2009 से 3/2013 तक का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.5.2013 से 7.6.2013 तक के दौरान संस्थान के परिसर में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह का चयन इस प्रकार किया गया।

| वित्तीय वर्ष | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
|---|---|---|---|---|
| आय | 7/2009 | 1/2011 | 7/2011 | 7/2012 |
| व्यय | 10/2009 | 10/2010 | 10/2011 | 4/2012 |

अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा किसी प्रकार की गलत सूचना/अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। स्थानीय लेखा विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्यों ने आहरण वं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य कियाः—

| *क्र0सं0* | *प्रधानाचार्य का नाम* | *कार्य की अवधि* |
|---|---|---|
| 1 | श्री आर0के0 शर्मा | 1.4.09 से 23.2.2012 |
| 2 | श्री पुनीत महाजन | 24.2.12 से 15.6.2012 |
| 3 | श्री एस0के0 गौतम | 16.6.12 से 31.3.2013 |

3 <u>अंकेक्षण शुल्कः—</u>

संस्थान के छात्र निधियों की जॉच हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/—आंका गया, प्रधानाचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 76 दिनांक 5.6.2013 द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना करते हुए प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹6000/—का बैंक ड्राफ्ट संख्या 102259 दिनांक 6.6.13 शाखा भारतीय स्टेट बैंक चम्बा, बनाकर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 <u>वित्तीय स्थितिः—</u>

अंकेक्षण अवधि 4/09 से 3/13 तक वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है एवं संस्थान के छात्र कल्याण निधियों के अन्तशेष परिशिष्ट "क" में दिया गया हैः—

| वित्तीय वर्ष | आ0 शेष (₹) | आय (₹) | ब्याज (₹) | योग (₹) | व्यय (₹) | अन्तशेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009—10 | 1665957 | 2888951 | 27521 | 4582429 | 1572656 | 3009773 |
| 2010—11 | 3009773 | 2873636 | 32289 | 5915698 | 2025167 | 3890531 |
| 2011—12 | 3890531 | 3148799 | 57034 | 7096364 | 2854097 | 4242267 |
| 2012—13 | 4242267 | 4810068 | 515676 | 9568011 | 2343142 | 7224869 |

अन्तशेष का विवरण

| | |
|---|---|
| भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता संख्या 11505753686 में जमा राशि | ₹4311462 |
| सावधि जमा में निवेश | ₹2888867 |
| हस्तगत राशि | ₹24540 |
| कुल राशि | ₹7224869 |

निवेशः—

दिनांक 31.3.2013 तक निम्न राशियॉ सावधि लेखों में निवेशित पाई गईः—

| क्र0सं0 | फण्ड का नाम | निवेश की तिथि | एफ0डी0आर0 सं0 | निवेशित राशि (₹) | परिपक्वता दिनांक | परिपक्वता राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इन्स्टीटयूशन सिक्योरिटी | 2.5.12 | 30753742432 | 100992 | 2.5.13 | 110393 |
| 2 | लाईब्रेरी सिक्योरिटी | 2.5.12 | 30753742385 | 100992 | 2.5.13 | 110393 |
| 3 | भवन निधि | 2.5.12 | 30753742250 | 971969 | 2.5.15 | 1260160 |
| 4 | भवन निधि | 16.10.12 | 30904545865 | 514457 | 16.10.13 | 559600 |
| 5 | भवन निधि | 9.3.10 | 31086069803 | 434500 | 9.3.13 | 518814 |
| 6 | चिकित्सा निधि | 2.5.12 | 30753742341 | 141089 | 2.5.15 | 182922 |
| 7 | लाईब्रेरी फीस | 2.5.12 | 30753742125 | 211652 | 2.5.15 | 274407 |
| 8 | लाईब्रेरी फीस | 16.10.12 | 30904551936 | 95089 | 16.10.13 | 103433 |
| 9 | चिकित्सा निधि | 16.10.12 | 30904580479 | 63433 | 16.10.13 | 68999 |
| 10 | लधु यात्रा शुल्क | 16.10.12 | 3095458920 | 80676 | 16.10.13 | 87755 |
| 11 | फाईन | 16.10.12 | 30904581031 | 116246 | 16.10.13 | 126446 |
| 12 | छात्र कल्याण निधि | 16.10.12 | 30904587714 | 57772 | 16.10.13 | 62841 |
| | | कुल निवेशित राशि | | 2888867 | | |

(i) सावधि जमा का नवीनीकरण न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया कि क्रम संख्या 5 में दर्शाई गई सावधि जमा संख्या 31086069803 ₹434500/—दिनांक 9.3.13 को परिपक्व हो चुकी थी लेकिन इस सावधि जमा का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। अतः समय पर नवीनीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं इसका नवीनीकरण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

<u>(ii) विभिन्न छात्र कल्याण निधियों की सावधि जमा की राशि को रोकड़ वही में न दर्शाने बारेः—</u>

जॉच मे पाया कि विभिन्न निधि खातों की राशि को सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया लेकिन इस सावधि जमा की राशि को निवेश के समय सम्बन्धित छात्र निधि खाते की रोकड़ वही में कम कर दिया गया जिस कारण से छात्र निधि खातों की वित्तीय स्थिति सही प्रदर्शित नहीं हो रही थी एवं सावधि जमा की राशि के दुरूपयोग की भी सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित निधि खातों की अवधि जमा राशि को सम्बन्धित रोकड़ वही में प्रविष्टि करवा दी गई एवं इसकी पुष्टि भी कर ली गई फिर भी भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए।

<u>(iii) निवेश रजिस्टर तैयार न करने बारेः—</u>

जॉच में पाया कि संस्थान में निवेश रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जबकि संस्थान द्वारा विभिन्न निधियों की राशि सावधि जमा के रूप में निवेश की गई है। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल निवेश का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करके नियन्त्रक अधिकारी से सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

<u>(iv) उचित वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होनाः—</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया कि संस्थान द्वारा छात्र निधियों की राशि आवश्यकता से अधिक बचत बैंक खाते में रखी गई थी। यदि वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए इन छात्र निधियों की अतिरिक्त राशियों को सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाता तो संस्थान को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित होती जिसका उपयोग छात्रों की भलाई हेतु किया जा सकता था। संस्था द्वारा छात्र निधियों में पाई गई अतिरिक्त राशियों का उचित प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में अतिरिक्त राशियों का सही प्रकार से उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाना भी सुनिश्चित करें ताकि छात्र कल्याण निधि से अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति से वंचित न होना पड़े।

आयः—

5 **रसीदों की क्रम संख्या स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः—**

जॉच के दौरान पाया कि रसीदों की क्रम संख्या स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी जिसके अभाव में यह पता चलाना मुश्किल था कि अंकेक्षण अवधि में प्रयोग की गई रसीदें भण्डार रजिस्टर से कब निर्गमित की गई थी। अतः भविष्य में रसीदों की क्रम संख्या भण्डार रजिस्टर में क्रय एवं निर्गमन के समय दर्शाना सुनिश्चित करें।

6 **सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रसीदों को रद्द करने बारेः—**

जॉच में पाया कि चयनित मासों में निम्नलिखित रसीदें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रद्द की गई थी जोकि अनुचित ही नहीं अत्यन्त आपत्तिजनक भी है। अतः इन रसीदों के रद्द करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं एवं भविष्य में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही रसीदों को रद्द किया जाए।

| क्र0सं0 | रसीद सं0 | अवधि | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1401 | 01/2011 | — |
| 2 | 1433 | 01/2011 | — |
| 3 | 2337 | 21.7.2012 | 14650 |

7 **कम्पयूटर फीस के रूप में ₹41000/—की कम वसूली करने बारेः—**

चयनित माह 01/2011 की निधि प्राप्तियों की जांच के दौरान पाया कि इस माह में ₹184000/—की राशि कम्पयूटर फीस के रूप में कुल 198 विद्यार्थियों से वसूल की गई जिसमे से 180 विद्यार्थी फ्री सीट एवं 18 विद्यार्थी पैमेन्ट सीट के थे लेकिन उपरोक्त विद्यार्थियो से वास्तव में ₹225000/— कम्पयूटर फीस के रूप में वसूले (180X1000+18X2500) जाने आपेक्षित थे। अतः ₹41000/—की कम वसूली की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

व्ययः–

8 **भुगतान की वास्तविक रसीद प्राप्त न करने बारेः–**

चयनित माह 10/2010 में किए गए व्यय की जांच करने पर पाया कि मै0 रामा कृष्णा स्पोटस, जालन्धर से बिल संख्या 7156 दिनांक 16.9.2010 द्वारा ₹21205/– की खेल सामग्री क्रय की गई लेकिन भुगतान की गई राशि की वास्तविक भुगतान रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण भुगतान की गई राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं आपेक्षित रसीद प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये एवं भविष्य में प्रत्येक भुगतान की वास्तविक रसीदें यथासमय पर प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाये। क्रय की गई सामग्री का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

Bill No. 7156 dated 16-9-22010

मै0 रामा कृष्ण स्पोर्ट एण्ड खन्ना मार्केट जालन्धर

क्रय की की गई सामग्री का विवरणः–

| | | |
|---|---|---|
| 10 बैडमिन्टन टी–शर्टस एंड लोअर | @ ₹280 प्रत्येक | 2800 |
| 4 बैडमिन्टन टी–शर्टस एंड निक्कर | @ ₹210 प्रत्येक | 840 |
| 8 बौलीवॉल टी–शर्टस एंड निक्कर | @ ₹200 प्रत्येक | 1600 |
| 9 कबडडी टी–शर्टस एंड निक्कर | @ ₹200 प्रत्येक | 1800 |
| 7 बास्केट बॉल लॉन्ग–शर्टस | @ ₹200 प्रत्येक | 1400 |
| 11 फुटबॉल टी–शर्टस एंड निक्कर | @ ₹200 प्रत्येक | 2200 |
| 1 सेट फुटबॉल किट | @ ₹460 प्रत्येक | 460 |
| 12 लॉन्न सोक्स | @ ₹45 प्रत्येक | 540 |
| 12 गार्ड | @ ₹110 प्रत्येक | 1320 |
| 12 फुटबॉल | @ ₹250 प्रत्येक | 3000 |
| 12 क्रिकेट टी–शर्टस एंड लोअर | @ ₹300 प्रत्येक | 3600 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 केप व्हाईट | @ ₹45 प्रत्येक | 540 |
| | | 20100 |
| | वैट @5.5% | 1105 |
| | योग | 21205 |

9 **भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेंज प्रस्तुत न करने बारेः—**

चयनित माह 10/2010 के व्यय की जांच करने पर पाया कि छात्र कल्याण निधि से ₹6000/— की राशि का भुगतान श्री हुकमेन्द्र सिंह को गाड़ी संख्या एच0आर0 07—0104 को चम्बा से सुन्दरनगर तक छोड़ने के लिए दिनांक 19.10.2010 को किया गया लेकिन इस राशि के खर्च से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे भुगतान की सत्यता की जांच नहीं हो सकी। अतः इसके भुगतानों के दस्तावेज व भण्डार की प्रविष्टियां आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाते हुए किये गए व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

10 **भवन निधि से ₹709166/— का अनियमित भुगतानः—**

जॉच में पाया कि चयनित माह 10/2011 में संस्थान की भवन निधि से ₹709166/—की राशि का भुगतान संस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि के रूप में किया गया था जो कि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। भुगतान की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार से हैः—

| क्रम सं0 | कर्मचारी का नाम | चैक सं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राज कुमार, माली | 347649 दिनांक 01.10.2011 | 236168 |
| 2 | श्री मोहिन्द्र सिंह, चपड़ासी | 347650 दिनांक 1.10.2011 | 236499 |
| 3 | श्रीमती शीला देवी सफाई कर्मचारी | 347651 दिनांक 1.10.2011 | 236499 |
| | | कुल भुगतान | 709166 |

11 **₹3554534/– का छात्र कल्याण निधि से अनियमित भुगतानः–**

जॉच के दौरान पाया कि छात्र कल्याण निधि से प्रतिवर्ष ठेके पर रखे गये कर्मचारियो के वेतन का भुगतान किया जा रहा था जोकि छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं था। इसके सन्दर्भ में प्रधानाचार्य द्वारा सचिव किया कि इस राशि की स्वीकृति सरकार से लेकर प्रतिपूर्ति राजकीय कोष में कर ली जाती है। अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹5075534/–की राशि ठेके पर रखे कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की गई जबकि वसूली केवल ₹1521000/– की गई थी अर्थात ₹3554534/–की राशि वसूली हेतु शेष पाई गई इसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। अतः इस राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके छात्र कल्याण निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।

12 **₹1000/– के भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारेः–**

चयनित माह 10/2009 के खर्चों की जांच करने पर पाया कि दिनांक 19.10. 2009 को ₹1000/–का भुगतान रैड क्रास सोसाईटी को किया दर्शाया गया जबकि इसके भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इसकी सत्यता की जॉच नहीं हो सकी। अतः भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके छात्र कल्याण निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।

13 **स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव के सन्दर्भ मेंः–**

संस्थान के छात्र कल्याण निधि के भण्डार रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से खरीदी गई स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति की सामग्री का अलग–2 स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.10 के अनुसार स्थाई एवं अस्थाई स्टॉक रजिस्टर अलग–2 तैयार करना अनिवार्य है। अतः तुरन्त प्रभाव से छात्र कल्याण निधि के स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर तैयार किए जाए एवं सम्बन्धित रजिस्टरों में प्रत्येक अलग–2 प्रकृति की मद के लिए अलग–2 पृष्ठ आंबटित किए जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

14 <u>लधु आपत्ति विवरणीः—</u>लधु आपतियों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। अतः यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 <u>निष्कर्षः—</u> लेखों के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)सी(15)xi(vii)(124) / 09—खण्ड—1 दिनांक, 23.10.2013 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :—

**पंजीकृत** :—1 प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा संस्थान चम्बा, जिला चम्बा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2 सचिव, तकनीकी शिक्षा, शिमला—171002

3 निदेशक तकनीकी शिक्षा सुदरनगर जिला मण्डी हि0प्र0

4 श्री संदीप कमल, अ0अ0.........................................

हस्ता / —
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.